(256)

सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

31 अगस्त, 2020

आदेश

श्री चेरू रामा कोटैय्या (जिसे इसमें इसके पश्चात् "याची" कहा गया है) ने अधोहस्ताक्षरी को एक याचिका, तारीख 9 सितंबर, 2019, भेजी है, जिसके द्वारा उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन आंध्र प्रदेश से संसद् सदस्य (राज्य सभा) श्री विजय साई रेड्डी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रत्यर्थी" कहा गया है) की निरर्हता की मांग इस आधार पर की है कि प्रत्यर्थी ने नई दिल्ली स्थित आंध्र प्रदेश भवन में आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष प्रतिनिधि के रूप में लाभ का पद (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त पद" कहा गया है) धारण कर रहे हैं।

और, याची द्वारा फाइल की गई उक्त याचिका को प्रत्यर्थी की अभिकथित निरर्हता के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) की अपेक्षानुसार भारत निर्वाचन आयोग को उसकी राय मांगने के लिए निर्दिष्ट किया गया था।

और, याची ने यह कथन किया है कि श्री वी. विजय साई रेड्डी राज्य सभा के लिए 03.06.2016 को निर्वाचित हुए थे। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रत्यर्थी को उक्त पद पर नियुक्त किया था और उन्हें जी.ओ.एम. सं. 68, तारीख 22.06.2019 द्वारा मंत्रिमंडल सदस्य का दर्जा प्रदान किया था। नियुक्ति का उक्त आदेश तुरंत प्रभावी हुआ था और प्रत्यर्थी लाभ का पद धारण कर रहा था। तत्पश्चात्, जी.ओ.एम. सं. 74, तारीख 04.07.2019 द्वारा श्री वी. विजय साई रेड्डी की नियुक्ति को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था।

और, याची ने आगे यह कथन किया है कि तारीख 07.07.2019 को, प्रत्यर्थी को जी.ओ.एम. सं. 75 द्वारा उक्त पद पर पुन:नियुक्त किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि वे विशेष प्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य में अपनी शासकीय यात्राओं के दौरान 'राजकीय अतिथि' की प्रास्थिति का उपयोग करने के अलावा, किन्हीं अन्य परिलब्धियों के लिए हकदार नहीं होंगे। याची ने यह अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन निरर्हता इस आधार पर उपगत की है कि वे नई दिल्ली स्थित आंध्र प्रदेश भवन में आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष प्रतिनिधि के रूप में 'लाभ का पद' धारण कर रहे हैं।

.....2/-

सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

और, उक्त याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 की अपेक्षानुसार भारत निर्वाचन आयोग को इस प्रश्न पर उसकी राय मांगने के लिए निर्दिष्ट की गई थी कि क्या आंध्र प्रदेश से संसद् सदस्य (राज्य सभा) श्री वी. विजय साई रेड्डी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् सदस्य होने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं।

और, भारत निर्वाचन आयोग ने, याचिका की जांच करने के पश्चात् यह राय दी है कि संसद् (निरर्हता निर्धारण) अधिनियम, 1959 में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए और न्यायिक पूर्वनिर्णयों में माननीय न्यायालयों द्वारा किए गए संप्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी, अर्थात् आंध्र प्रदेश से संसद् सदस्य (राज्य सभा) श्री विजय साई रेड्डी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् सदस्य होने के लिए निरर्हता उपगत नहीं की है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई राय तारीख 9 जून, 2020 की एक प्रति इससे उपाबद्ध है।

अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभिव्यक्त राय के आलोक में मामले पर विचार करने के पश्चात्, मैं, राम नाथ कोविन्द, भारत का राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अभिनिर्धारित करता हूं कि प्रत्यर्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् सदस्य होने के लिए निरर्हता उपगत नहीं की है।

रामनाथ कोविन्द
भारत के राष्ट्रपति